परिपत्र सं.603 दिनांक-11.07.2018

सेवा में,

1. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, राजकीय विभाग, बैंक लेखा केंद्रीय कार्यालय, सी-7, द्वितीय मंजिल, बांद्रे कुर्ला कांप्लेक्स, सी -7, पी बी नं.8143, बांद्रा पूर्वी, मुम्बई-51
2. सभी मुख्य प्रबंध निदेशक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
3. नोडल अधिकारी, आईसीआई/एचडीएफसी/एक्सिस/आईडीबीआई बैंक।
4. सभी प्रबंधक, सीपीसीसी।
5. सैन्य और वायु अटाचे, भारतीय दूतावास, काठमांडु, नेपाल।
6. र.ले.प्र.नि. (पश्चिमी कमांड) चंडीगढ़।
7. र.ले.नि. (पें.संवि.), मेरठ।
8. र.ले.नि. चेन्नई।
9. कोषागार निदेशक, सभी राज्य।
10. वेतन एवं लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशासन, आर.के.पूरम्, तीस हजारी, नई दिल्ली।
11. वेतन एवं लेखा कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार मुम्बई।
12. पोस्ट मास्टर, कठुआ (जम्मू एवं कश्मीर) कैंपबेल वे।
13. प्रधान वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर।

विषयः- बर्मी सैन्य पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर तथा पाकिस्तान से विस्थापित वे सैन्य पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जो भारतीय नागरिक हैं किन्तु पाकिस्तान सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, के अनुग्रह राशि तदर्थ भत्ते में वृद्धि।
संदर्भः- इस कार्यालय का परिपत्र सं.419, दिनांक-06.10.2009.

पूर्व सेवा कार्मिक विभाग, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उपर्युक्त विषय पर दिनांक-11.04.2018 को पत्रांक-1(5)/2017/D/(Pen/Policy) के अधीन जारी जो स्वतः स्पष्ट है क प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

2- रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक - 1(5)/2017/D/(Pen/Policy), दिनांक-11.04.2018 की प्राप्ति के फलस्वरूप करूणा के आधार पर तदर्थ अनुग्रह राशि भत्ता की प्रभावी तिथियाँ दिनांक- 01.01.2016 से निम्नलिखित क्षेणियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को रूपये 9000/- प्रति माह संस्वीकृत की गई है-

(क) पाकिस्तान से आये सशस्त्र सैन्य पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों।
(ख) बर्मी सशस्त्र सैन्य पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनकी राष्ट्रीयता भारतीय हैं और भारत में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
(ग) नेपाली मूल के वे बर्मी सशस्त्र सैन्य पेंशनर जो भारतीय दूतावास एवं नेपाल स्थित पेंशन भुगतान कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

3-उपर्युक्त पैरा-2 में उल्लिखित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की श्रेणियों को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सैन्य कल्याण विभाग के पत्रांक- 1(5)/2017/D/(Pen/Policy), दिनांक-11.04.2018 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पेंशनरों को समय-समय पर स्वीकार्य पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान बढ़े हुए तदर्थ अनुग्रह राशि पर देय होगा।।

4-रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्रांक- 1(5)/2017/D/(Pen/Policy), दिनांक-11.04.2018 के प्रधिकार के अधीन उपर्युक्त पैरा-2 में वर्णित सभी श्रेणियों के पेंशनरों के अनुग्रह राशि तदर्थ भत्ता का भुगतान आपके द्वार अपके द्वारा किया जाएगा। इस कार्यालय से इस इस बाबत किसी अन्य प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा न की जाए। आगे, यह भी अवगत कराया जाता है कि इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-419, दिनांक-06.10.2009 के पैरा-4 प्रचलन में रहेगा। बर्मी परिवार पेंशनरों के अनुग्रह राशि तदर्थ भत्त पर होने वाले अतिरिक्त बोझ को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

5-इन आदेशों के तहत उपर्युक्त पेंशनरों द्वारा 01.01.2016 से लगातार प्राप्तकर संशोधन पूर्व अनुग्रह राशि तदर्थ भत्ता (महंगाई भत्ता आदि सहित 01.01.2016 से प्रभावी) अनुग्रह राशि तदर्थ भत्ता में से समायोजित कर दिया जाएगा। अनुग्रह राशि तदर्थ भत्ते के भुगतान संबंधी नीति एवं प्रक्रिया इस मामले में जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार कार्य करता रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि पैरा-2 में वर्णित उपरोक्त पेंशनरों से जुड़े परिवार पेंशनरों का भुगतान का आधार से जुड़े बैंक खातों में ही हों।

6-किसी प्रकार का किया गया अधिभुगतान की वसूली कृपया वर्तमान में बकाया राशि से समायोजित किया जाएगा।

7-अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगा।

8-सभी पेंशन संवितरण एजेंसियों से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों की पहचान करें और तदर्थ अनुग्रह राशि भत्ते की दरों को संशोधित कर इस कार्यालय के लेखा परीक्षा (तकनीकी) अनुभाग के प्रभारी श्री के.के.पंत को उच्च प्रधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए प्रेषित करें।

9-यह परिपत्र रक्षा लेखआ प्रधान नियंत्रक (पेंशन) की वेबसाइट www.pcdapension.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

सं.Gts/Tech/0148/LVIII
दिनांक- 11.07.2018

सुशील कुमार सिंह
रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (पें)

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग– ए नई दिल्ली
3. **पी.ओ. नई दिल्ली-11**
4. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
5. डीपीए, वायु भवन नई दिल्ली –11।
6. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी–3, पश्चिमी खण्ड–6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
7. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा–2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी–10।
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई –400039।
9. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ ।
10. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड –5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली –66
11. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
12. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
13. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–10।
14. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
15. समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।

16. **नाविक ब्यूरो, चीता कैंप, मुम्बई**

17. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।

18. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी./एम.पी. 8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक , पश्चिमी खण्ड –3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली–66

19. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।

20. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।

21. प्रभारी अधिकारी जी–1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा– अन्य श्रेणी (तक.) व जी–1 सिविल(तक.) ।

22. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी

23. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.

24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर

25. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर

26. मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग।

27. प्रभारी अधिकारी जी–2 अनुभाग

28. प्रभारी अधिकारी जी–3 अनुभाग

29. प्रभारी अधिकारी जी–4 अनुभाग

30. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग

31. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।

32. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

33. रक्षा पेंशन लाइजन कक्ष।

34. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।

35. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।

36. **प्रभारी अधिकारी, लेखा परीक्षा, तकनीकी अनुभाग (स्थानीय) ।**

> मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक- 5700६ाज.च्छ7जी ब्ब्ध्टवस.टप्प दिनांक 27ण06ण2018 की एक प्रति प्रभावित मामलों की संख्या संबंधई रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं उनके पुनरीक्षण हेतु एतद्द्वारा अग्रेषित किया जाता है। पुनः पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से निवेदन है कि वे इस परिपत्र के पैरा 7 के अधीन ऐसे पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
>
> कृपया विभिन्न पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो को समेकित करें एवं मुख्यालय कार्यालय को उनके निर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट प्रेषित करें।

(ए.के.मालवीय)

वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)